

पत्र संख्या/जी0एस0टी0/2017-18/ 285

/ वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(जी0एस0टी0-अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक: अक्टूबर: 2017

::आदेश::

उत्तर प्रदेश शासन संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1404/ग्यारह-09(109)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (46)-2017 दिनांक 26.09.2017 द्वारा उ0प्र0 माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 123 के उपनियम (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा एक राज्य स्तरीय उ0प्र0 छानबीन समिति का गठन किया गया है, जिसे उत्तर प्रदेश मुनाफाखोरी रोधी छानबीन समिति के रूप में जाना जाएगा। उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्रश्नगत समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(क) आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला, राज्य सरकार का एक अधिकारी और

(ख) मुख्य आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला, केन्द्रीय सरकार का एक अधिकारी।


शासन द्वारा गठित समिति में इस कार्यालय के आदेश संख्या जी0एस0टी0/2017-18/784/वाणिज्य कर दिनांक 28.09.2017 द्वारा राज्य सरकार के अधिकारी के रूप में श्री आन्जनेय कुमार, एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर/राज्य कर उत्तर प्रदेश को नामित किया गया है। जिनका फोन नं0 एवं ई-मेल निम्नवत है-

(क) श्री आन्जनेय कुमार सिंह, एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर/ राज्य कर- मोबाईल नं0-7235001001, दूरभाष-0522-2721151, ई-मेल-cta1comhqlu-up@nic.in

प्रिन्सिपल चीफ कमिश्नर लखनऊ द्वारा प्रश्नगत समिति में केन्द्रीय सरकार के अधिकारी के रूप में श्री वी0 वाल्टे, कमिश्नर सी0जी0एस0टी0 लखनऊ का नामांकन किया गया है जिनका फोन नं0 व ई-मेल निम्नवत है-

(ख) श्री वाल्टे, कमिश्नर सी0जी0एस0टी0 लखनऊ जिनका मोबाईल नं0-9402507544, दूरभाष-0522-2284805, 2210056, ई-मेल-ccocexlu-up@nic.in

उक्त समिति उत्तर प्रदेश के लिए राज्य स्तरीय मुनाफाखोरी रोधी छानबीन समिति के रूप में कार्य करेगी। उक्त समिति का कार्यालय 04, विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ होगा।



(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर वाणिज्य कर/राज्य कर
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि:-

1-सचिव जी0एस0टी0 काउन्सिल, भारत सरकार की सेवा में सूचनार्थ।

- 2- अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उ०प्र० की सेवा में सूचनार्थ ।
- 3- प्रिन्सिपल चीफ कमिश्नर सी०जी०एस०टी० एवं सेन्ट्रल एक्साइज लखनऊ जोन, लखनऊ को सूचनार्थ ।
- 4- श्री वाल्टे, कमिश्नर सी०जी०एस०टी० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 5- श्री आन्जनेय कुमार सिंह, एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर/राज्य कर उ०प्र० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 6- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई०टी०) वाणिज्य कर मुख्यालय को वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ ।
- 7- पी०आर०ओ०, वाणिज्य कर मुख्यालय को समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ ।


23/10/17
एडीशनल कमिश्नर जी०एस०टी०
वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ ।

